संख्या–1156/पॉच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः दिनॉक25मई, 2020**

विषय–चिकित्सालयों के कोविड एवं गैर–कोविड क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि चिकित्सालयों में संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण सम्बन्धी प्रोटोकॉल/दिशा–निर्देश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। उक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए है। इन्फेक्शन प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल प्रोटाकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु चिकित्सालय संक्रमण नियंत्रण समिति भी गठित की गयी है।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि चिकित्सालयों में कतिपय स्वास्थ्य कर्मियों से उक्त प्रोटोकाल का उल्लघंन हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों एवं मरीजों के संक्रमित होने की आशंका है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सालयों के कोविड एवं गैर–कोविड क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएः–

(1) जनपदों में गठित चिकित्सालय संक्रमण नियंत्रण समिति द्वारा चिकित्सालयों में निम्नलिखित गतिविधियों का प्राथमिकता के आधार पर अनुश्रवण करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही की जाएः–

(क) चिकित्सालयों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को समुचित पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्यूपमेन्ट उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) सभी स्वास्थ्यकर्मियों का संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं कोविड–19 के सामान्य लक्षणों की जानकारी, अपने स्वास्थ्य का स्वतः अनुश्रवण एवं लक्षण प्रकट होने पर त्वरित रिपोर्टिंग हेतु निर्देशित किया जाएगा।

(ग) सभी स्वास्थ्यकर्मियों के नियमित थर्मल स्क्रीनिंग का प्राविधान किया जाएगा।

(घ) कोविड–19 रोगियों का प्रबन्धन करने वाले सभी स्वास्थ्यकर्मियों को चिकित्सीय पर्यवेक्षण में कीमोप्रोफाइलेक्सिस प्रदान किया जाएगा।

(ड.) चिकित्साकर्मियों के द्वारा पी0पी0ई0 के उल्लंघन की त्वरित रिपोर्टिंग एवं फालो–अप का प्राविधान किया जाएगा।

(च) चिकित्साकर्मियों के द्वारा सदैव निरोधात्मक उपायों जैसे नियमितरूप से हाथों को धोना/एल्कोहल–आधारित सैनीटाइजर का प्रयोग, श्वसन–सम्बन्धी शिष्टाचार का पालन सुनिश्चित कराना।

(छ) वार्डो/ओ0पी0डी0/आई0सी0यू0 से निकलने के उपरान्त स्वास्थ्यकर्मी सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेंगे तथा मॉस्क लगाएंगे जिससे वह दूसरों को संक्रमित न कर सकें अथवा स्वयं को सक्रमित होने से बचा सकें।

(ज) गर्भवती महिला स्वास्थ्यकर्मी/स्तनपान कराने वाली महिला कर्मचारी तथा कमजोर प्रतिरक्षण–तंत्र वाले स्वास्थ्यकर्मी अपने स्वास्थ्य की स्थिति की सूचना चिकित्सालय प्राधिकारियों को देंगे जिससे उनकी तैनाती गैर–कोविड क्षेत्रों में किया जा सके।

(2) इसके उपरान्त भी चिकित्साकर्मियों के द्वारा पी0पी0ई0 प्रोटोकाल के उल्लंघन की स्थिति में चिकित्सालय संक्रमण नियंत्रण समिति के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को निम्नलिखित 02 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा–

(क) उच्च जोखिम एक्सपोजर (High risk exposure)

(ख) निम्न जोखिम एक्सपोजर (Low risk exposure)

(क) उच्च जोखिम एक्सपोजर (High risk exposure) में निम्नलिखित स्वास्थ्यकर्मी आएंगे:–

1. कोविड–19 रोगी को चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्यकर्मी/अन्य व्यक्ति अथवा बिना अनुशंसित पी0पी0ई0 के या पी0पी0ई0 का सम्भावित उल्लंधन कर कोविड–19 रोगी के श्वसन–सम्बन्धी नमूनों पर कार्य करने वाले प्रयोगशालाकर्मी।
2. समुचित पी0पी0ई0 का प्रयोग किए बिना एरोसॉल उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया सम्पादित करने वाले स्वास्थ्यकर्मी।
3. बिना मॉस्क/फेस–शील्ड/चश्में के कोविड–19 के रोगी से 1 मीटर की दूरी के अन्दर 15 मिनट से अधिक समय तक आमने–सामने सम्पर्क में आने वाले स्वास्थ्यकर्मी।
4. बिना मॉस्क/फेस–शील्ड/चश्में के दुर्घटनावश शारीरिक–द्रव के सम्पर्क में आने वाले स्वास्थ्यकर्मी।

इन श्रेणी के स्वास्थ्यकर्मियों को 14 दिनों के लिए होम–क्वारेन्टीन किया जाएगा तथा आई0सी0एम0आर0 के द्वारा निर्गत जॉच प्रोटोकॉल के अन्तर्गत निम्नानुसार जॉच किया जाएगा:–

(1) यदि ऐसे स्वास्थ्यकर्मी की जॉच धनात्मक पाई जाती है तो उन्हें कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा।

(2) यदि ऐसे स्वास्थ्यकर्मी की जॉच ऋणात्मक पाई जाती है तो 14 दिनों की होम–क्वारेन्टाइन अवधि पूर्ण करने के उपरान्त स्वास्थ्यकर्मी वापस कार्य पर लौटेंगे।

(ख) निम्न जोखिम एक्सपोजर (Low risk exposure) में ऐसे स्वास्थ्यकर्मी आएंगे जो उच्च जोखिम के श्रेणी में नहीं आते हैं।

इस श्रेणी के स्वास्थ्यकर्मियों को क्वारेन्टाइन की कोई आवश्यकता नहीं है तथा वे अपना कार्य करते रहेंगे। स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा लक्षणों के प्रकट होने का स्वतः अनुश्रवण किया जाएगा। किन्तु उनमें कोविड–19 से सम्बन्धित लक्षण विकसित होने पर प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी जॉच किया जाएगा एवं यदि जॉच धनात्मक पाई जाती है तो उन्हें कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा।

(3) ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड ड्यूटी पर तैनात हैं केवल उन्हीं को एक्टिव क्वारेन्टाइन अनुमन्य होगा। ड्यूटी पूर्ण होने के पश्चात् ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड डयूटी में थे, की 14 दिन की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त जॉच करायी जायेगी। यदि जॉच में वे निगेटिव पाये जाते हैं तो उन्हें 02 दिन के लिये होम क्वारेन्टाइन में भेजा जायेगा। इस दौरान वे सभी नियमों का पालन करेगें। यदि वे जॉच में पाजिटिव पाये जाते हैं तो उन्हें कोविड हास्पिटल में भेजा जायगा। अन्यथा की स्थिति में निम्न जोखिम एक्सपोजर (Low risk exposure) वाले स्वास्थ्यकर्मियों को 02 दिन के बाद पुनः नान–कोविड चिकित्सालय में डयूटी पर भेजा जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1156(1)/पॉच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. निदेशक, संचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

Pankaj/GO/COME-3